संख्या-58/2016/1083/सैंतीस-2-2016-1(46)/03

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 मई, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-26/सात-3/बैकयार्ड पोल्ट्री/2016-17, दिनांक-07.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम' के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित रू0-450.00 लाख (रूपये चार करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को कुक्कुट व्यवसाय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय/उपयोग योजना उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
3. प्रश्नगत योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति के निर्बल वर्ग के लोगों के लिए किया जायेगा। इसके लिए इस वर्ग के लोगों में से ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त चयनित सूची का परीक्षण संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पोल्ट्री प्रोग्राम आफिसर द्वारा करने के उपरान्त जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अन्तिम रूप प्रदान करेंगे। लाभार्थियों के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-
   क. बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम के लाभार्थी अनुसूचित जाति के निर्बल वर्ग के महिला/पुरूष होंगे।
   ख. लाभार्थी का चयन जिस ग्राम प्रधान ने प्रस्तावित किया हो, लाभार्थी उसी ग्राम का निवासी हो।
   ग. अपने रहने की व्यवस्था हो।
   घ. कुक्कुट पालन में रूचि हो।
4. स्वीकृत धनराशि से प्रदेश में 15,000 बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाईयाँ खोली जायेंगी जिसमें प्रदेश के समस्त 75 जनपद आच्छादित होंगे प्रति इकाई रू0-3000/- का व्यय निम्न प्रकार होगा:-

1.	चूजे 50 दर रू0-24.50 प्रति (एक दिवसीय ड्युअल पर्पज, स्ट्रेट रन, लो-इनपुट टेक्नोलॉजी)	रू0-1225.00
2.	दवा	रू0-200.00
3.	छप्पर की व्यवस्था	रू0-425.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4.	आहार	रू0-900.00
5.	यातायात पर व्यय	रू0-50.00
6.	प्रशिक्षण पर व्यय	रू0-200.00
	कुल-	**रू0-3000.00**

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निहित प्रयोजनों के लिए हो, इसका पर्यवेक्षण संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि मदों में कोई विचलन होता है या निर्धारित प्रयोजनों से इतर धनराशि का व्यय लाभार्थी द्वारा किया जाता है, तो संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायें तथा विचलित धनराशि की वसूली संबंधित लाभार्थी से करें।
7. लाभार्थी को धनराशि उसके बैंक/डाकघर खाते में ही उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में धनराशि का भुगतान नगद नहीं किया जायेगा।
8. योजनान्तर्गत वस्तुओं आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नियमावली का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. लाभार्थी को कुक्कुट पालन का एक सप्ताह का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी को निकटतम दूरी पर प्रशिक्षण दिया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**दया शंकर सिंह**)
संयुक्त सचिव।

<u>पु0सं0-58/2016/1083(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in